

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2022—आषाढ़ 24, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र आनंद त्रिपाठी ने शिवज्योति सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, रथकांकरा कोटा (राजस्थान) से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की, जहां पर उसके शैक्षणिक रिकार्ड में त्रुटिवश पिता का नाम रामकिशन (RAM KISHAN TRIPATHI) दर्ज हो गया है, जबकि उसके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में पिता का नाम रामकृष्ण त्रिपाठी (RAM KRISHNA TRIPATHI) दर्ज है. अतः आज से मेरे पुत्र के समस्त अभिलेखों में पिता का नाम रामकृष्ण त्रिपाठी (RAM KRISHNA TRIPATHI) पढ़ा-लिखा व जाना-पहचाना जाये.

Old Name

(RAM KISHAN TRIPATHI)

(G-1230)

New Name

(RAMKRISHNA TRIPATHI)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अमान उर रेहमान (AMAAN UR REHMAN) है. मेरी अंक सूची में मेरा नाम (AMAN UR REHMAN) अंकित है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मेरा नाम शासकीय व अर्ध शासकीय दस्तावेजों में अमान उर रेहमान (AMAAN UR REHMAN) से जाना पहचाना जाये.

पुराना नाम

(अमान उर रेहमान)

AMAN UR REHMAN

(G-1231)

नया नाम

(अमान उर रेहमान)

AMAAN UR REHMAN

28/1297 सुन्दर नगर वार्ड 17

न्यू कबाडखाना, भोपाल.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मंजुलता राजौरिया (MANJU LATA RAJORIYA) पिता श्री देवेन्द्र कुमार राजौरिया अपना नाम मंजु उपाध्याय पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा अपने समस्त दस्तावेजों में कर रही हूँ. भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मंजु उपाध्याय (MANJU UPADHYAY) पढ़ा जावेगा/पुकारा जावेगा.

पुराना नाम
(मंजुलता राजौरिया)
पिता श्री देवेन्द्र कुमार राजौरिया.

नया नाम
(मंजु उपाध्याय)
पति श्री राकेश कुमार शर्मा
स्थायी निवासी-सरमन वाली गली,
गणेशपुरा मुरैना (म. प्र.).

(G-1232)

नाम परिवर्तन

आमजन को सूचित किया जाता है कि मैं, बालचंद जैन पिता श्री बारेलाल जैन, वर्ष निवासी 202/1, कछियाना, नवेरिया गार्डन के सामने, जबलपुर (मध्यप्रदेश) का नाम मेरी स्कूल की अंकसूची, मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं वोटर आई.डी. में बालचंद जैन पिता श्री बारेलाल जैन दर्ज है लेकिन जबलपुर विकास प्राधिकरण से योजना क्रमांक 18 के अन्तर्गत प्राप्त दुकान क्रमांक 90/34 के दस्तावेजों में मेरा नाम बबलू जैन पिता बारेलाल जैन दर्ज है. बालचंद जैन एवं बबलू जैन मेरे ही नाम हैं तथा मेरे नाम को आज दिनांक के बाद केवल बालचंद जैन पिता श्री बारेलाल जैन पढ़ा एवं लिखा जावे. मैं अपने नाम बबलू जैन पिता बारेलाल जैन का परित्याग करता हूँ. भविष्य में मुझे मेरे नाम बालचंद जैन पिता श्री बारेलाल जैन समस्त शासकीय/अशासकीय रिकार्ड में पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(बबलू जैन)
पिता श्री बारेलाल जैन

नया नाम
(बालचंद जैन)
पिता श्री बारेलाल जैन

(G-1233)

नाम परिवर्तन

मैं, भागो बाई पत्नी श्री गोपाल सिंह सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम भगवती देवी था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा है. जबकि वर्तमान में मैं, भागो बाई के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में लिखा है. भागो बाई एवं भगवती देवी दोनों मेरे ही नाम हैं एवं भविष्य में भी मैं, भागो बाई पत्नी श्री गोपाल सिंह के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम भगवती देवी के स्थान पर भागो बाई लिखा एवं पढ़ा जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(भगवती देवी)

नया नाम
(भागो बाई पत्नी श्री गोपाल सिंह)
पता-सुल्तानपुर, डबरा, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

(G-1234)

नाम परिवर्तन

मैं अशोक गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम अशोक गुप्ता है. जो मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक इत्यादि में लिखा गया है. जो सत्य व सही है जबकि मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम अशोक लक्ष्मीनारायण गुप्ता गलती से लिख गया है जो कि गलत है वर्तमान में मैं, अशोक गुप्ता के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा हस्ताक्षर करता हूँ और भविष्य में भी करता रहूंगा. अतः मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम अशोक लक्ष्मीनारायण गुप्ता के स्थान पर सही नाम अशोक गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(अशोक लक्ष्मीनारायण गुप्ता)

नया नाम
(अशोक गुप्ता)
पता-69 सी.पी. कॉलोनी मुरार ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

(G-1235)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम रामेश्वर चौधरी है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड क्र. 788850286981 में गजानंद चौधरी हो गया है जो कि गलत है मेरा सही नाम रामेश्वर चौधरी है जो कि सम्पूर्ण रिकार्डों में रामेश्वर चौधरी ही दर्ज है. अतः हमें रामेश्वर चौधरी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(गजानंद चौधरी)

नया नाम
(रामेश्वर चौधरी)

(G-1236)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रिया आर्या पत्नी प्रभाकर आर्या था, जिसे मैं परिवर्तित कर मरीया डिसिल्वा आर्या पत्नी प्रभाकर आर्या करना चाहती हूँ. मेरे पुत्र की शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में भी त्रुटिवश रिया आर्या दर्ज है.

रिया आर्या उपनाम/सरनेम मेरे नाम के साथ त्रुटिवश दर्ज हो गया था, जिसे मैं हटवाना चाहती हूँ तथा आगे से मरीया डिसिल्वा आर्या पत्नी प्रभाकर आर्या नाम से ही जानी, पहचानी जाऊंगी. विदित हो.

पुराना नाम
(रिया आर्या)
पत्नी प्रभाकर आर्या

नया नाम
(मरीया डिसिल्वा आर्या)
पत्नी प्रभाकर आर्या

(G-1237)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार जगदीश पटेल पिता दगडू जी पटेल जाति गुर्जर, निवासी-छैगांवदेवी तहसील, खंडवा उनका यहा नाम आधार कार्ड में, शिक्षा संबंधित प्रमाण-पत्रों में चला आ रहा है. घर में व ग्राम तथा आसपास समाज में प्रभुलाल के नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से जगदीश पिता दगडू पटेल एवं प्रभुलाल पिता दगडू पटेल, निवासी, ग्राम छैगांवदेवी तहसील, खंडवा एक ही व्यक्ति हैं. यह कि मेरे पक्षकार व उनके अन्य भाई, छितर, भगवान, हीरालाल पिता दगडू, निवासी, छैगांवदेवी तहसील, खंडवा ने विक्रय-पत्र

दिनांक 22-06-1995 के द्वारा युसूफ अली पिता अकबर अली बोहरा, निवासी सैफी कॉलोनी, खंडवा से उसकी मालकी की छैगांवदेवी प.ह.नं. 82 में स्थित ख. नं. 288/2, 290 रकबा क्रमशः 0.08 हे., 0.09 हे. भूमि क्रय करते समय उनके भाईयों ने नाम प्रभुलाल पिता दगडू लिखवा दिया क्योंकि घर में सब प्रभुलाल के नाम से बुलाते थे, जबकि शासकीय अभिलेखों के अनुसार नाम जगदीश पिता दगडू होना चाहिये था. यह कि मेरे पक्षकार व उनके भाईयों ने छैगांवदेवी स्थित भूमि. ख. नं. 220, 221 क्रमशः रकबा 0.22 हे., 0.20 हे. कुल 0.42 हे. भूमि का मद परिवर्तन कराया है तथा परिवर्तित भूमि को मेरे पक्षकार व उक्त तीनों भाईयों ने 29 वर्ष 11 माह की लीज पर श्रीमती नर्मदाबाई पति छितर पटेल को लीज पर दी है, जिसमें पट्टादाता के रूप में भाईयों के साथ नाम जगदीश पटेल पिता दगडू जी पटेल लिखा है, उक्त विक्रय-पत्र में प्रभुलाल पिता दगडू तथा लीज डीड पर जगदीश पिता दगडू पटेल लिखे हुए दोनों नाम एक ही हैं. उसे जगदीश पिता दगडू उर्फ प्रभुलाल पिता दगडू के नाम से जाना, पहचाना एवं मान्य किया जावे. इस संबंध में अन्य शासकीय कार्य तथा बैंकों में भी जगदीश पिता दगडू उर्फ छैगांवदेवी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(प्रभुलाल)

नया नाम
(जगदीश पटेल पिता दगडू पटेल)

(G-1238)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अब्दुल हमीद टेलर पिता अब्दुल रशीद टेलर था, जिसे मैं, परिवर्तित कर अब्दुल हमीद मंसूरी पिता अब्दुल रशीद मंसूरी करना चाहता हूँ मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम अब्दुल हमीद टेलर ही दर्ज है, "टेलर" उपनाम/सरनेम मेरे नाम के साथ त्रुटिवश दर्ज हो गया था, जिसे मैं, हटवाना चाहता हूँ तथा आगे से अब्दुल हमीद मंसूरी पिता अब्दुल रशीद मंसूरी नाम से ही जाना, पहचाना जाऊंगा. विदित हो.

पुराना नाम
(अब्दुल हमीद टेलर)
पिता अब्दुल रशीद

नया नाम
(अब्दुल हमीद मंसूरी)
पिता अब्दुल रशीद

(G-1239)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, माधुरी मिश्रा पुत्री श्री चन्द्रभूषण मिश्रा उम्र 28 वर्ष, निवासी-नयागाँव (चित्रकूट) तहसील मझगाँव-जिला सतना (मध्यप्रदेश) की निवासनी हूँ.

मैं, शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि वाल्यावस्था में मेरा नाम माधवी कृष्णा था, जैसा कि मेरे उ. प्र. स्थित भूमि संबंधित रिकार्ड खसरा, खतौनी आदि में दर्ज है.

यह कि अब मेरा नाम माधुरी मिश्रा पुत्री श्री चन्द्रभूषण मिश्रा, निवासी-नयागाँव (चित्रकूट) तहसील मझगाँव-जिला सतना (मध्यप्रदेश) है.

यह कि माधवी कृष्णा एवं माधुरी मिश्रा एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही नाम क्रमशः था और है. अतः आज दिनांक 28-06-2022 के बाद मेरे उ. प्र. के राजस्व रिकार्ड व अन्य जगह जहाँ भी माधवी कृष्णा लिखा है के स्थान पर माधुरी मिश्रा लिखा व पढ़ा जावे, जैसा कि मेरे वर्तमान के शिक्षा संबंधी मार्कशीट, आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर आई.डी., समग्र आई.डी. में नाम माधुरी मिश्रा दर्ज है, आज दिनांक के बाद सही नाम माधुरी मिश्रा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(माधवी कृष्णा)

नया नाम
(माधुरी मिश्रा)
(MADHURI MISHRA)

पुत्री श्री चन्द्रभूषण मिश्रा
निवासी-नयागाँव (चित्रकूट), तहसील मझगाँव,
जिला सतना (मध्यप्रदेश).

(G-1240)

CHANGE OF NAME

I, MUKESH GURJAR Son of Narayan Gurjar, Resident of 395/2 Shrikrishna Bag, Indore (M. P.) here by declare that I have changed my name as MANVEER GURJAR S/o NARAYAN GURJAR. So. from now on and in future I will be known by my new name as MANVEER GURJAR S/o NARAYAN GURJAR for all future purposes.

Old Name
(MUKESH GURJAR)

New Name
(MANVEER GURJAR)
395/2 Shrikrishna Bag, Indore.

(G-1241)

CHANGE OF NAME

I, am Sonu Dhakad S/o Shri Jagdish Singh, Resident of Payasi Tehsil Sironj District Vidisha, my former name was Bhagwan Singh S/o Shri Jagdish which is mentioned in my Aadhar Card, Voter Card and other documents which is my former name. That now I want to change my name to Sonu Dhakad S/o Shri Jagdish Singh. From now on I should be known as Sonu Dhakad in government, non-official documents and society.

Old Name
(BHAGWAN SINGH S/o JAGDISH SINGH)

New Name
(SONU DHAKAD S/o JAGDISH SINGH)

(G-1242)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम खतीजा अखतर (KHATIJA AKHTAR) है। मेरे पुत्र की अंक सूची में मेरा नाम खदीजा रेहमान (KHADIZA REHMAN) अंकित हो गया है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भविष्य में मेरा नाम शासकीय व अर्ध शासकीय दस्तावेजों में खतीजा अखतर (KHATIJA AKHTAR) से जाना पहचाना जाये।

पुराना नाम
(खदीजा रेहमान)
KHADIZA REHMAN

नया नाम
(खतीजा अखतर)
KHATIJA AKHTAR
28/1297 सुन्दर नगर वार्ड 17 न्यू कबाडखाना भोपाल.

(G-1243)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं गजेन्द्र सिंह बेड़िया (GAJENDRA SINGH BAEDIYA) उम्र 46 वर्ष आत्मज श्री ओंकार सिंह बेड़िया निवासी ब्लॉक सुदर्शन क्वार्टर नंबर 12, पुरानी फैमिली लाईन, 6वीं बटालियन एस.ए.एफ. रांझी तह. व जिला जबलपुर का निवासी हूँ तथा मैं 6वीं बटालियन एस.ए.एफ. रांझी जबलपुर के अन्तर्गत हेड क्वार्टर कंपनी में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा बैच नंबर 508 है, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गजेन्द्र सिंह बेड़िया (GAJENDRA SINGH BAEDIYA) दर्ज है तथा मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम गजेन्द्र गंधर्व (GAJENDRA GANDHARV) दर्ज है। मैं अपना सरनेम दस्तावेजों के अनुसार अपने सर्विस रिकार्ड में गजेन्द्र सिंह बेड़िया के स्थान पर गजेन्द्र गंधर्व (GAJENDRA GANDHARV) परिवर्तित कराना चाहता हूँ अतः मध्यप्रदेश के राजपत्र में मेरा नाम गजेन्द्र गंधर्व (GAJENDRA GANDHARV) प्रकाशित करने की दया करें।

पुराना नाम
(गजेन्द्र सिंह बेड़िया)
GAJENDRA SINGH BAEDIYA

नया नाम
(गजेन्द्र गंधर्व)
GAJENDRA GANDHARV
पता-ब्लॉक सुदर्शन क्वार्टर नंबर 12,
पुरानी फैमिली लाईन, 6वीं बटालियन
एस.ए.एफ. रांझी तह. व जिला जबलपुर
हेड क्वार्टर कंपनी.

(G-1244)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रतिभा देशपाण्डे पत्नी श्री एस. जी. देशपाण्डे (श्रीकांत गोपाल देशपाण्डे) भोपाल की निवासी हूँ विवाह पश्चात् मेरा नाम रस्म के तौर पर वैशाली देशपाण्डे रखा गया था मेरे पति बी.एच.ई.एल. भोपाल में कार्यरत थे, तदनुसार बी.एच.ई.एल. के कुछ कागजातों तथा सेवा पुस्तिका में मेरा नाम वैशाली देशपाण्डे लिखवाया गया था जब मेरे पति बी.एच.ई.एल. से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने बी.एच.ई.एल. के मेडिकल टोकन में मेरा नाम परिवर्तित करा कर श्रीमती प्रतिभा देशपाण्डे लिखवा दिया लेकिन बी.एच.ई.एल. के एच.आर. विभाग में यह नाम परिवर्तन नहीं हो सका, अब मैं, यह घोषणा करती हूँ कि मेरा आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम प्रतिभा देशपाण्डे पत्नी श्री एस. जी. देशपाण्डे (श्रीकांत गोपाल देशपाण्डे) है मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम
(वैशाली देशपाण्डे)

नया नाम
(प्रतिभा देशपाण्डे)

निवासी-मकान नम्बर ए-42, ओल्ड मीनाल
रेसीडेन्सी, जे. के. रोड, गोविन्दपुरा
भोपाल, मध्यप्रदेश.

(G-1245)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र रिजुल दुबे की शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्रों एवं पासपोर्ट में मेरा नाम संजीव दुबे अंकित है इसी प्रकार मेरे दूसरे पुत्र रिभू दुबे की अंकसूची में मेरा नाम संजीव दुबे अंकित है जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम संजीव कुमार दुबे है. संजीव दुबे एवं संजीव कुमार दुबे उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं भविष्य में मेरे दोनों पुत्रों के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में संजीव कुमार दुबे मान्य किया जावे तथा इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(संजीव दुबे)

नया नाम
(संजीव कुमार दुबे)

निवासी-902 कैलाश बिहार सिटी सेन्टर ग्वालियर.

(G-1246)

नाम संशोधन

मैं, श्रीमती ओमवती अहिरवार पत्नी स्व. श्री भगवान सिंह, निवासी-म. नं. 5703, पंचवटी नगर, फेस-2, करोंद, भोपाल, मध्यप्रदेश, मेरा घर का नाम भागवती बाई है तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम भागवती/ओमवती अंकित है. अतः उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं और दोनों नामों की एक ही व्यक्ति हूं. अब, मैं, आगे से अपना ओमवती अहिरवार नाम ही समस्त जगह अंकित कराना चाहती हूं तथा भविष्य में मुझे ओमवती अहिरवार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

नया नाम

(ओमवती अहिरवार)निवासी-म. नं. 5703, पंचवटी नगर,
फेस-2, करोंद, भोपाल, मध्यप्रदेश.

(G-1247)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कु. कोमल रैकवार पिता स्व. श्री गोकुल रैकवार, निवासी-राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 14, तहसील कटनी, जिला कटनी, मध्यप्रदेश का विवाह दिनांक 5 मार्च 2018 को श्री वीरेन्द्र सिंह आत्मज स्व.श्री शिवनरेश सिंह, निवासी-शत्रुधनपुरी देवांगना रोड, कर्वीमाफी, तहसील कर्वी, जिला चित्रकुट धाम कर्वी राज्य उत्तर प्रदेश के साथ स्थान नई बस्ती जिला कटनी में हिन्दु रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ था. अतएव आज दिनांक के पश्चात् कु. कोमल रैकवार पिता स्व. श्री गोकुल रैकवार को श्रीमती कोमल वीरेन्द्र सिंह पति वीरेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये.

नया नाम

(कोमल वीरेन्द्र सिंह)पति श्री विरेन्द्र सिंह
तहसील बाँधवगढ़, जिला उमरिया.

(G-1248)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा पुराना नाम राणाकुँवर राजपूत जो मेरी बीमा पालिकी क्रमांक 345756961 एवं छात्र प्रगति-पत्र में दर्ज था एवं अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक में विष्णु कुँवर राजपूत दर्ज है इस प्रकार मैंने अपने पुराने नाम के स्थान पर नया नाम विष्णु कुँवर राजपूत ग्रहण कर लिया है, सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन नये परिवर्तित नाम विष्णु कुँवर राजपूत के नाम से जाने पहचाने व पुकारें.

पुराना नाम
(राणा कुँवर राजपूत)

नया नाम
(विष्णु कुँवर)

विष्णु कुँवर राजपूत पति टीकम सिंह राजपूत
निवासी मकान नम्बर 132, वार्ड नम्बर 13, ढाबा
सरवानिया महाराज तहसील जावद जिला नीमच.

(G-1249)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी नाबालिग पुत्री अनुष्का कुमारी पुत्री श्री दिलीप कुमार प्रभाकर का नाम सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा वर्ष 2019 तथा सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2021 की मार्कशीट व प्रमाण-पत्र में लिखा है मैं, अपनी पुत्री के नाम के बाद कुमारी के स्थान पर अपने पैंत्रिक सरनेम सिंह को उल्लेखित करना चाहता हूँ आगे से मेरी पुत्री का नाम अनुष्का सिंह पुत्री श्री दिलीप कुमार प्रभाकर के नाम से जाना जावे, पढ़ा जावे, पुकारा जावे, लिखा जावे व पहचाना जावे.

दिलीप कुमार प्रभाकर पुत्र श्री देव नारायण सिंह
निवासी—डी-34 गार्डन होम फेस-3, अलकापुरी,
ग्वालियर (म. प्र.)

(G-1250)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम बृज कुमार दीक्षित पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार दीक्षित था. अब मैंने अपना नाम जय दीक्षित (Jay Dixit) कर लिया है अब सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेज वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में मेरा सही नाम जय दीक्षित (Jay Dixit) पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार दीक्षित अंकित है. बृज कुमार दीक्षित पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार दीक्षित व जय दीक्षित पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार दीक्षित दोनों मेरे नाम है मैं, एक ही व्यक्ति हूँ अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम जय दीक्षित (Jay Dixit) पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार दीक्षित नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(बृज कुमार दीक्षित)

नया नाम
(जय दीक्षित)

जय दीक्षित (Jay Dixit) पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार दीक्षित
निवासी—राम-जानकी मंदिर के सामने, तिरछी हाट, घासमंडी, ग्वालियर (म. प्र.)

(G-1251)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरी पुत्री हिमांशी जैन (Himanshi Jain) जो कि केन्द्रीय विद्यालय नं.-02, शिवाजी नगर, भोपाल में कक्षा-10वीं में अध्ययनरत है. मेरी पुत्री का पूर्व नाम हिमांशी जैन (Himanshi Jain) है, जिसका नाम वर्तमान में परिवर्तन कर रियांशी जैन (Riyansshi Jain) रख दिया है, भविष्य में रियांशी जैन (Riyansshi Jain) के नाम से जानी व पहचानी जायेगी.

पुराना नाम
हिमांशी जैन (Himanshi Jain)

नया नाम
रियांशी जैन (Riyansshi Jain)

(G-1252)

नाम परिवर्तन

मैं, PRRATIK RAWAL पुत्र श्री लेखराज रावल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम PRATIK RAWAL अंकित है। यह कि मेरे नाम के सही स्पेलिंग PRRATIK RAWAL हैं। यह कि PRATIK RAWAL एवं PRRATIK RAWAL एक ही व्यक्ति के नाम है, अतः मैं, भविष्य में PRRATIK RAWAL के नाम से जाना व पहचाना जाता रहूँगा। यदि इस बावत कोई आपत्ति होती है तो उसकी समस्त जवाबदारी मेरी रहेगी। अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम PRRATIK RAWAL अंकित किया जाये, आम जन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम
(PRATIK RAWAL)
(प्रतीक रावल)

नया नाम
(PRRATIK RAWAL)
(प्रतीक रावल)
निवासी—प्लॉट नं. 1007, गार्डन पैलेस, न्यू सिटी सेंटर,
जीएसटी भवन के ऊपर, ग्वालियर.

(G-1253)

नाम परिवर्तन

मैं, काव्य शर्मा (KAVAYA SHARMA) पुत्र श्री मनीष शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम मनु शर्मा था जो मेरे बीमा पॉलिसी में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, काव्य शर्मा (KAVAYA SHARMA) पुत्र श्री मनीष शर्मा के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि में लिखा गया है। और भविष्य में भी मैं, इसी नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊँगा मनु शर्मा एवं काव्य शर्मा (KAVAYA SHARMA) दोनों मेरे ही नाम है अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम मनु शर्मा के स्थान पर काव्य शर्मा (KAVAYA SHARMA) लिखा एवं पढ़ा जावे आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम
(मनु शर्मा)

नया नाम
काव्य शर्मा (KAVAYA SHARMA)
पता:—गोविंदपुरी, पोलीस चौक नगर सेंटर, ग्वालियर (म. प्र.)

(G-1254)

नाम परिवर्तन

हमारे (पिता संजय कुमार पंडागले एवं माता प्रविनी पंडागले) बेटे का नाम प्रजय पंडागले है शाला प्रवेश के समय गलती से प्रजॉय हो गया था। जिसे जन्म प्रमाण-पत्र में ठीक कर लिया गया है। अतः सभी दस्तावेजों में मेरे बेटे का नाम प्रजॉय की जगह प्रजय पंडागले पढ़ा, लिखा व समझा जाये।

पुराना नाम
(प्रजॉय)

नया नाम
(प्रजय पंडागले)
पता:—ई-3, आर आई ई केंपस, श्यामला हिल्स,
भोपाल (म. प्र.)

(G-1255)

आम सूचना

मैं, ऑसम कान्ट्रक्शन, K-8 कांटे साहब का बाडा, शब्दप्रताप आश्रम, ग्वालियर में से राकेश सिंह राजपूत एवं ज्ञानेन्द्र सिंह राजपूत भागीदार थे जो कि राकेश सिंह राजपूत फर्म से हट चुके हैं एवं दिनेश शर्मा और बृजकिशोर नए भागीदार शामिल हो चुके हैं दि. 04-06-2022 को।

ज्ञानेन्द्र सिंह राजपूत (पार्टनर)
Awesome Construction
K-8 कांटे साहब का बाडा, शब्दप्रताप आश्रम, ग्वालियर.

(G-1256)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स एएबीएस डेवलपर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0095/22 व पंजीयन दिनांक 16-06-2022 तथा पंजीकृत पता 206 रितुराज बिजनेस सेंटर, बिचौली मर्दाना, बाईपास इंदौर जिला इंदौर है जिसमें भागीदारी के समय 4 भागीदार (1) श्री आयुष अग्रवाल पिता श्री अजय अग्रवाल (2) आयुष अजय कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अजय अग्रवाल पिता मोतीलाल अग्रवाल (3) श्रीमती बीना संघवी पति श्री भूपेश संघवी (4) श्वेतांक श्रीमाल एच. यू. एफ. तर्फे कर्ता श्री श्वेतांक श्रीमाल थे. दिनांक 21-06-2022 को फर्म में एक नए भागीदार श्वेतांक श्रीमाल पिता श्री पवन श्रीमाल शामिल हो गए हैं तथा फर्म के एक भागीदार श्वेतांक श्रीमाल एच. यू. एफ. तर्फे कर्ता श्री श्वेतांक श्रीमाल निजी कारणों से फर्म से रिटायर हो गए. अतः वर्तमान में फर्म में:—(1) श्री आयुष अग्रवाल पिता श्री अजय अग्रवाल (2) आयुष अजय कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री अजय अग्रवाल पिता मोतीलाल अग्रवाल (3) श्रीमती बीना संघवी पति श्री भूपेश संघवी (4) श्वेतांक श्रीमाल पिता श्री पवन श्रीमाल हैं जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

भागीदार

आयुष अग्रवाल

फर्म मेसर्स एएबीएस डेवलपर्स

पता 63 प्रगति विहार नियर राजशाही

रिसॉर्ट्स बिचौली मर्दाना, इंदौर.

(G-1257)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स पवन इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र ए. बी. रोड मुरैना में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/00013/05 दिनांक 03/05/2005 है जिसमें दिनांक 16-06-2022 को नवीन भागीदार के रूप में 1. श्री रामकुमार बंसल पुत्र श्री गोपाल दास बंसल नि. रूई की मण्डी मुरैना 2. दीपक अग्रवाल पुत्र श्री रामकुमार अग्रवाल नि. मिल एरिया रोड मुरैना 3. श्री रवि गुप्ता पुत्र श्री तुलसीराम गुप्ता नि. स्टेट बैंक कॉलोनी नैनागढ़ रोड मुरैना फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 16-06-2022 को भागीदार श्री भरत गुप्ता पुत्र श्री भगवानदास गुप्ता नि. रूई की मण्डी मुरैना एवं श्रीमती मिथलेश गर्ग पत्नी श्री किशन गुप्ता नि. जीवाजीगंज मुरैना फर्म से स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

ऊषा देवी बंसल (भागीदार)

मैसर्स पवन इंडस्ट्रीज

इंडस्ट्रीयल एरिया ए. बी. रोड, मुरैना.

(G-1258)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सुंदरदास ज्ञानचंद एंड कंपनी पं. क्र. ज. सं. 15 सन् 1997 दि. 21-02-1997 पता 1767 नेपियर टाउन जबलपुर उक्त फर्म में 1. श्रीमती नानकी बाई पति स्व. श्री सुंदरदास बठीजा 2. करतार सिंह बठीजा पिता स्व. श्री सुंदरदास बठीजा 3. गोपाल दास बठीजा पिता स्व. श्री सुंदरदास बठीजा 4. मुरलीधर बठीजा पिता स्व. श्री सुंदरदास बठीजा सभी निवासी नेपियर टाउन जबलपुर है. फर्म में दिनांक 01-04-2003 को श्रीमती रीता बठीजा पति करतार सिंह बठीजा पता नेपियर टाउन जबलपुर भागीदार के रूप में सम्मिलित हुई एवं भागीदार क्र. 1 श्रीमती नानकी बाई फर्म से दि. 31-03-2003 को सेवानिवृत्त हो गई थी एवं दि. 06-06-2003 को मृत्यु हो चुकी है. श्रीमती रीता बठीजा पति करतार सिंह बठीजा मृत्यु दिनांक 27-01-2018 को होने के कारण उनके स्थान पर उक्त दिनांक को भागीदार कमलजीत सिंह बठीजा पिता करतार सिंह बठीजा पता 1525/D नेपियर टाउन जबलपुर सम्मिलित हुए. वर्तमान फर्म में भागीदार 1. करतार सिंह बठीजा पिता स्व. श्री सुंदरदास बठीजा 2. गोपाल दास बठीजा पिता स्व. श्री सुंदरदास बठीजा 3. मुरलीधर बठीजा पिता स्व. श्री सुंदरदास बठीजा 4. कमलजीत सिंह बठीजा पिता करतार सिंह बठीजा सभी निवासी नेपियर टाउन जबलपुर है. फर्म के नाम एवं पते में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है.

यह सूचना किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था को कोई भी आपत्ति है तो वह 7 दिवस के भीतर फर्म के कार्यालय जबलपुर में सूचित करें.

(करतार सिंह बठीजा) पार्टनर

मेसर्स सुंदरदास ज्ञानचंद एंड कंपनी.

(G-1259)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स हर्षित इंफ्रा. पता-9/1, श्रीराम अपार्टमेंट, 6 मालवीय नगर, भोपाल म. प्र. है, जिसका फर्म पंजीयन क्र. 01/01/01/00291/11, सन् 2011-2012, दिनांक 20-10-2011 में रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल संभाग मध्यप्रदेश में पंजीयत है, इस भागीदारी का गठन दिनांक 20-10-2011 को श्री मोहनलाल भठेजा एवं श्री संतोष कुमार भठेजा, द्वारा किया गया, इस फर्म में दिनांक 01-04-2015 को भागीदार श्री पी. राजू पिता स्व. श्री ए. पेरूमल, श्री विकास पी. हरचंदानी पिता श्री परमानंद आर. हरचंदानी एवं श्री हितेश भठेजा पिता श्री मोहनलाल भठेजा को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया एवं इस फर्म में दिनांक 09-07-2021 को भागीदार श्री पी. राजू पिता स्व. श्री ए. पेरूमल, श्री विकास पी. हरचंदानी पिता श्री परमानंद आर. हरचंदानी एवं श्री हितेश भठेजा पिता श्री मोहनलाल भठेजा अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं तथा दिनांक 10-07-2021 को श्री रोशन चावला पिता स्व. श्री रामूलाल चावला को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया, अब फर्म में वर्तमान में श्री मोहनलाल भठेजा, श्री संतोष कुमार भठेजा एवं श्री रोशन चावला, भागीदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, फर्म का पुराना पता दिनांक 28-06-2022 को बदलकर नया पता—दुकान क्रमांक—05, भूतल, भूखण्ड क्रमांक-13-ए, गोविन्द गार्डन नोवल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स तह. हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश है.

(मोहनलाल) भागीदार

(G-1260)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s SHIVA ENGINEERING WORKS पता—प्लॉट न. 27, डी सेक्टर (एच) औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल-23 पंजी. क्र. 102, दिनांक 30-05-1994 वर्ष-1994-95 है. दिनांक 05-09-2001 को Smt. Ratan Udavat W/o Shri Gopal Udavat R/o Village Narela Shankari Bhopal भागीदारी फर्म से पृथक् हुई. भागीदारी डीड दिनांक 10-07-2020 के अनुसार दिनांक 31-03-2020 को Shri Jokhan Vishwakarma S/o Shri Deepchand Vishwakarma R/o म. नं. 42, अपूर्वा इनक्लेव, भावानी धाम, नरेला शंकरी, पानी की टंकी के पास, अयोध्या नगर, भोपाल भागीदारी फर्म से पृथक् हुए. दिनांक 31-03-2020 को Shri Ranjeet Vishwakarma S/o Shri Nandlal Vishwakarma R/o म. नं. 150, नीरजा नगर, जे. के. रोड, भोपाल एवं Shri Rakesh Vishwakarma S/o Shri Nandlal Vishwakarma R/o म. नं. 150, नीरजा नगर, जे. के. रोड, भोपाल भागीदारी फर्म में शामिल हुए.

Ranjeet Vishwakarma

Partner

M/s SHIVA ENGINEERING WORKS

पता—प्लॉट न. 27, डी-सेक्टर (एच) औद्योगिक क्षेत्र
गोविन्दपुरा, भोपाल-23.

(G-1261)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स फूड कनेक्ट पता—डावर्स कैंपस, इंडस्ट्रियल एरिया, तानसेन रोड, ग्वालियर (म. प्र.) में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0059-20 दिनांक 15-07-2020 है. जिसमें दिनांक 26-06-2022 को भागीदार मेसर्स ट्रोपीलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एवं श्री विजय वर्मा स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं तथा मेसर्स ट्रोपीलाइट बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मेसर्स फूड कनेक्ट

अभिषेक अहलावत (भागीदार) डावर्स कैंपस, इंडस्ट्रियल एरिया, तानसेन रोड, ग्वालियर (म. प्र.)

(अभिषेक अहलावत)

मेसर्स पार्टनर फूड कनेक्ट

मेसर्स ट्रोपीलाइट बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड).

(G-1262)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर. के. शर्मा एण्ड ब्रदर्स जो रेल्वे स्टेशन रोड गुना म. प्र. में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 179 दि. 05-04-1999 है, जिसमें दिनांक 08-10-2021 को भागीदार राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री देवीप्रसाद जी शर्मा निवासी आदर्श कॉलोनी वार्ड क्र. 31 गुना म. प्र. की मृत्यु होने के कारण फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 08-10-2021 को चेतन शर्मा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी आदर्श कॉलोनी वार्ड क्र. 31 गुना म. प्र. फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

(अनिल कुमार शर्मा) भागीदार
मेसर्स आर. के. शर्मा एण्ड ब्रदर्स
रेल्वे स्टेशन रोड, गुना (म. प्र.).

(G-1263)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 72 के अधीन सूचना-पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म सिग्मा कॉलोनाईजर, पता—म. नं. 20, सेक्टर-ए, सोनागिरी, भोपाल (म. प्र.) पंजीयन क्र. 01-01-01-0460-21 दिनांक 24-02-2021, जिसमें तीन भागीदारों (1) मोहम्मद रफीक खान पिता स्व. श्री मुनव्वर खान, निवासी—म. नं. 20, सेक्टर-ए सोनागिरी, भोपाल (म. प्र.), (2) अरविन्द कोरी पिता श्री टोडल सिंह कोरी, निवासी-सागर सिल्वर सिप्रिंग, सागर कॉलेज के पास, अयोध्या बायपास, भोपाल (म. प्र.), (3) सुधीर कुमार मंगल पिता श्री धरम चंद मंगल, निवासी-म. नं. 6, इण्डस मुस्कान, फेस-2, नरेला शंकरी, अयोध्या बासपास, भोपाल (म. प्र.) में से दिनांक 24-03-2022 को भागीदार (1) मोहम्मद रफीक खान पिता स्व. श्री मुनव्वर खान, निवासी-म. नं. 20, सेक्टर-ए, सोनागिरी, भोपाल (म. प्र.) की मृत्यु होने के कारण, फर्म से पृथक किया जा रहा है. वर्तमान में दिनांक 24-03-2022 से दो भागीदारों (1) अरविन्द कोरी पिता श्री टोडल सिंह कोरी, निवासी-सागर सिल्वर सिप्रिंग, सागर कॉलेज के पास, अयोध्या बायपास, भोपाल (म. प्र.) (2) सुधीर कुमार मंगल पिता श्री धरम चंद मंगल, निवासी-म. नं. 6, इण्डस मुस्कान, फेस-2, नरेला शंकरी, अयोध्या बायपास, भोपाल (म. प्र.) द्वारा फर्म संचालित रहेगी एवं दिनांक 24-03-2022 से फर्म का मुख्य कार्यालय—फर्म सिग्मा कॉलोनाईजर, पता म. नं. 20, सेक्टर-ए, सोनागिरी, भोपाल (म. प्र.) से परिवर्तित कर फर्म का नवीन कार्यालय—जी-2, विशाल हाईट्स, अयोध्या बायपास, भोपाल (म. प्र.) हो रहा है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

(अरविन्द कोरी) भागीदार
(सुधीर कुमार मंगल) भागीदार
सिग्मा कॉलोनाईजर

(G-1264)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s S. J. ENTERPRISES पता-केम्पस ब्राइट पेरागन एकेडमी एस-1, राजहर्ष कालोनी, नयापुरा कोलार भोपाल, पंजी. क्र. 27-2001-02 दिनांक 29-08-2001 है. दिनांक 01-04-2022 को श्री आभास जांगरे पुत्र श्री प्रकाश जांगरे, 21, पारिका फेस-2, चूना भट्टी, भोपाल भागीदारी फर्म से पृथक हुए. दिनांक 01-04-2022 को श्री गीत जांगरे पुत्र श्री प्रकाश जांगरे, 21, पारिका फेस-2, चूना भट्टी, भोपाल भागीदारी फर्म में शामिल हुए. दिनांक 01-04-2022 से श्रीमती कल्पना जांगरे पत्नि श्री प्रकाश जांगरे ने अपना पता परिवर्तन कर 21, पारिका फेस-2, चूना भट्टी भोपाल कर लिया है.

(KALPANA JANGRE)

Partner

M/s S. J. ENTERPRISES

केम्पस ब्राइट पेरागन एकेडमी एस-1, राजहर्ष
कालोनी, नयापुरा कोलार, भोपाल.

(G-1265)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s R. R. MEDICALS पता-हुजरात रोड, लश्कर ग्वालियर (म. प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक A. R. G./Firm/122/1998 दिनांक 26-09-1998, को फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ. आपसी सहमति से आज दिनांक 01-04-2022 को फर्म में संशोधित डीड अनुसार पार्टनर क्रं. (3) श्रीमती मीरा गोयल पत्नी श्री सुरेश गोयल स्वेच्छा से अलग हो गयी है.

अतः दिनांक 01-04-2022 से फर्म M/S R. R. MEDICALS पता-हुजरात रोड, लश्कर ग्वालियर (म. प्र.), को निम्न पार्टनर्स द्वारा संचालित की जावेगी. (1) श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र स्व. श्री तुलसीराम गोयल (2) श्री दीपक गोयल पुत्र स्व. श्री तुलसीराम गोयल.

(राजेन्द्र गोयल) पार्टनर

M/s R. R. Medicals

हुजरात रोड लश्कर, ग्वालियर.

(G-1266)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स एग्रो पाइप्स (M/s Agro Pipes) जिसका पंजीयन क्रमांक 2825/1976-77 व पंजीयन दिनांक 21-02-1977 पता 34-ए सेक्टर सी सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौर जिला इंदौर है जिसमें दिनांक 17-08-2018 को फर्म विलेख में 4 भागीधार (1) दिनेश हरिया, (2) मितल हरिया, (3) कोमल सोलंकी, (4) दीपक टाँक व्यापार कर रहे थे. दिनांक 14-11-2019 को फर्म के 2 भागीदारों (1) दिनेश हरिया, (2) मितल हरिया ने फर्म से सेवानिवृत्त होने की इच्छा प्रकट की जिसे शेष भागदारों ने सहमति प्रदान की साथ ही फर्म के पते-पते में भी परिवर्तन होकर नया पता 5-ए सेक्टर E सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया नियर एच. डी. वायर कंपनी, इंदौर हो गया है. और अब वर्तमान में फर्म में चालू रहने वाले शेष 2 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं (1) कोमल सोलंकी पिता अमर सिंह सोलंकी (2) दीपक टाँक पिता नन्दलाल टाँक जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

(कोमल सोलंकी) भागीदार

(M/S Agro Pipes)

पता 12 ए MSB II न्यू सियागंज, इंदौर.

(G-1267)

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2022

“प्रारूप उन्नीस”

[नियम 19 (13) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषण हेतु सूचना]

क्र.-जविप्रा-भू-अर्जन-2022-3287.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-03/JBP/2020 अर्थात् ग्राम कुदवारी एवं गुरदा को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है.

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप-उन्नीस (क) प्रारूप-उन्नीस (ख) तथा प्रारूप (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. जबलपुर विकास प्राधिकरण, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर
3. नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर
4. स्थानीय नगरीय निकाय-नगरपालिक निगम, जबलपुर
5. प्राधिकरण की वैबसाईट अर्थात् jdajabalpur.org

उपरोक्त स्कीम दिनांक 15 जुलाई 2022 से प्रभावशील होगी.

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(G 1268)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 28 जून 2022

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1991 एवं म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 6(1) के तहत]

प्र. क्र. 1 बी-113-2015-16-427.—चूंकि पूर्व प्रकरण क्रमांक 1 बी-113-2015-16 आवेदक स्वामी बम महादेव दास प्रधान शिष्य गुरु पुत्र श्री नीलकंठ (नारायणदास) जी महाराज के आवेदन पर माननीय रजिस्ट्रार महोदय, मैहर द्वारा ट्रस्ट अधिनियम अंतर्गत विहित प्रारूप क्र. 3 के नियम 4(2) के तहत आवेदन-पत्र मय संविधान एवं नियमावली एवं ट्रस्ट की संपत्ति के संबंध में दस्तावेजों का अवलोकन व प्रकरण के सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात दिनांक 4 जून 2016 को उक्त न्यास स्वामी नीलकंठ (नारायणदास) लोकन्यास, श्री नीलकंठ आश्रम, गोविन्दबाग ओइला तहसील मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश का पंजीयन का आदेश दिनांक 4 जून 2016 को किया, जो पंजीयन रजिस्ट्रार क्र. 04/2016 इन्द्राज किया गया था. उक्त न्यास की कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्यों की बैठक दिनांक 31 मार्च 2022 को न्यासकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के कार्यवाही/प्रस्ताव क्रमांक 7 के खण्ड (क) और (ख) पर सर्वसम्मति से उक्त न्यास में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जो कि मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 9(2) के अंतर्गत अनुसूची में पूर्व की मूल लोकन्यास के रजिस्ट्रार में वांछित संशोधन प्रतिस्थापित किए गए हैं जिसका आवेदन आवेदक द्वारा विहित प्रारूप में संशोधित संविधान व नियमावली प्रेषित किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त न्यास के संशोधन आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 25 जुलाई 2022 को विचार में लिया गया है, कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं :-

अनुसूची

लोक न्यास का नाम :	:	“स्वामी नीलकण्ठ (नारायणदास) लोक न्यास” मैहर
पता :	:	श्री नीलकण्ठ आश्रम गोविन्दबाग ओइला, तह. मैहर, जिला सतना (मध्यप्रदेश).

अ- उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली के उपनियम की कण्डिका क्रमांक 12 दिनांक 25 फरवरी 2021 को लोक न्यास के सभी पद निर्वाचन प्रक्रिया से होने के बाद :-

1. स्वामी बम महादेव दास जी	—	न्यास के संस्थापक / न्यासकर्ता / अध्यक्ष
2. श्री संजय चौबे	—	उपाध्यक्ष
3. श्री सचीन्द्र सिंह बघेल	—	सचिव
4. श्री धर्मेंश धई	—	सह-सचिव
5. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह	—	कोषाध्यक्ष
6. श्री राजेश श्रीवास्तव	—	न्यासी सदस्य
7. श्री ज्योति चौबे	—	न्यासी सदस्य
8. श्रीमति आभा चौबे	—	न्यासी सदस्य
9. श्रीमति विभा चौबे	—	न्यासी सदस्य
10. श्री गणेश प्रसाद चतुर्वेदी	—	न्यासी सदस्य
11. श्री राजाराम तिवारी	—	न्यासी सदस्य

का निर्वाचन पश्चात् का नाम संशोधन किया गया है. नवीन नियमावली प्रारूप श्रीमान के समक्ष अवलोकनार्थ संलग्न है.

(ख) न्यास के उपनियम की कंडिका क्र. 19(1) में उल्लेखित न्यास पदाधिकारी सहित कुल संख्या 09 के स्थान पर 11 न्यासी होंगे. इसका गठन न्यासकर्ता संस्थापक न्यासकर्ता न्यासी के द्वारा किया जायेगा.

(ग) यह कि न्यास के नियम की कंडिका 15 न्यासी पद की अयोग्यताएँ की उप कंडिका 7, 8, 9, 10, 11 जोड़े गए हैं, जो संशोधित न्यास का संविधान एवं नियमावली में संलग्न है.

(घ) यह कि न्यास के नियम की कंडिका 20 कार्यकारिणी सभा के अधिकार एवं कर्तव्य की कंडिका 2 के पैरा 1 दिनांक के 2 दिन पूर्व और दूसरे पैरा के संचार माध्यम से जोड़ा गया है.

(ङ) यह कि न्यास के नियम की कंडिका 22 न्यास के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य के सचिव की उप कंडिका पाँच के पैरा में-5 किसी आवश्यक कार्य के लिए पाँच हजार रुपए तक की राशि का व्यय करना एवं बाद में उसकी स्वीकृति कार्यकारिणी से कराना शब्द जोड़ा गया है, जो ट्रस्ट के बाइलाज में संलग्न है.

(च) यह कि न्यास के नियम की कंडिका 31 विशेष खण्ड में यह कि न्यासकर्ता संस्था के अध्यक्ष स्वामी श्री बम महादेव दास जी को न्यास की नियमावली में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है किसी भी न्यासी की निर्योग्यता पाए जाने पर जिसको जब चाहे हटा दे तथा योग्यता दर्शित होने पर जब चाहे रख लें. यह अधिकार भी सुरक्षित है जिसकी अनुमोदन पश्चात् में समिति / न्यासी करेंगे. सम्पूर्ण चल-अचल संपत्ति न्यास पीठीसीन मंहत की है. जो अब ट्रस्ट / न्यास की है. फिर भी किसी को अनुचित हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा, यह अधिकार अध्यक्ष महोदय के पास सुरक्षित है. जोड़ा गया है जो न्यास के बाइलाज में संलग्न है.

ब- न्यास की संपत्ति विवरण पृष्ठ संख्या 20 स्थाई सम्पत्ति की कंडिका 03- भैया डेलाराम आश्रम सरवराहकार गुरु मंहत बम महादेवदास शिष्य श्री श्री 1008 स्वामी नीलकंठ महाराज, गोविन्द बाँग ओइला मैहर, सतना मध्यप्रदेश ग्राम खितौला बाजार सिहोरा शीट नंबर 50/ए मोहल्ला खितौला बाजार, प्लॉट नंबर 08, खसरा नंबर 151 रकवा 165 वर्गमीटर मकान जो न्यास की संशोधन संविधान एवं नियमावली प्रारूप में जोड़कर श्री मान के समक्ष अवलोकनार्थ संलग्न है.

स-उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली में नवीन संशोधन न्यासकर्ता / संचालक / अध्यक्ष स्वामी बम महादेव दास जी को न्यास की नियमावली में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है.

घमेंद्र मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G 1269)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बड़वानी, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 29 जून 2022

फार्म नंबर-4

[म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 5(1) के अन्तर्गत]

नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बड़वानी के समक्ष

क्र. 3591 रीडर-1-2022.—आवेदक प्रमोद जोशी पिता श्री राधाकृष्ण जोशी, निवासी बड़वानी द्वारा सिद्धेश्वर नर्मदा सेवा संस्थान, राजघाट रोड बड़वानी का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के 1 माह की अवधि के भीतर 2 प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि के बाद प्रस्तुत किये जाने सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार/सुनवाई नहीं की जावेगी.

आज दिनांक 29 जून 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है.

(G 1270)

बड़वानी, दिनांक 28 जून 2022

फार्म नंबर-4

[म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 5(1) के अन्तर्गत]

नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बड़वानी के समक्ष

क्र. 3562 रीडर-1-2020.—आवेदक अध्यक्ष डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी पिता अमरसिंह सोलंकी, जाति बारेला, निवासी ठान, तहसील पाटी, द्वारा ग्राम अंचल सेवार्थ लोकहित न्यास, बड़वानी का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के 1 माह की अवधि के भीतर 2 प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि के बाद प्रस्तुत किये जाने सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार/सुनवाई नहीं की जावेगी. आज दिनांक 28 जून 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है.

घनश्याम धनगर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G 1271)

अन्य सूचनाएं कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 20 मई 2022

[म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन-2022.—रेवा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बडाबाया तहसील बुधनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1388, दिनांक 5 नवम्बर 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/573 सीहोर, दिनांक 2 मई 2022 जारी कर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने हेतु पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का अवसर प्रदान किया गया था. सोसाइटी की तरफ से अधिवक्ता ने उत्तर प्रस्तुत किया है. परिसमापन की कार्यवाही इस आधार पर प्रारंभ की गई थी कि इस सोसाइटी को आवंटित बडाबाया जलाशय का पट्टा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बुधनी के आदेश क्रमांक 1298, दिनांक 29 अप्रैल 2022 से निरस्त कर दिया गया है. ऐसी स्थिति में इस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया है और इस कारण इस सोसाइटी में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. सोसाइटी की तरफ से प्रस्तुत उत्तर में आवंटित जलाशय का पट्टा निरस्त करने के तथ्य का न तो खंडन किया गया है और न ही समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है. इसलिये रेवा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, बडाबाया का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किये जाने का विनिश्चय किया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर रेवा मछुआ सहकारी समिति, मर्यादित, बडाबाया, तह. बुधनी जिला सीहोर को धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर कैथवास, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी के अस्तित्वों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 20 मई 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक.

(G 1272)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां छिदवाड़ा

छिदवाड़ा, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

[म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन-2021-1787.—जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. तुरसी पं. क्रमांक 697 दिनांक 4 अक्टूबर 2007 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च 2015 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तित्वों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत **दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. तुरसी** पं. क्रमांक 697 दिनांक 2 अक्टूबर 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूं. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(G 1273)

छिंदवाड़ा, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

[म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन-2021-1788.—जिले में स्थित **दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कोहका** पं. क्रमांक 693 दिनांक 4 अक्टूबर 2007 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1526, दिनांक 5 मई 2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत **दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कोहका** पं. क्रमांक 693 दिनांक 4 अक्टूबर 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूं. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(G 1274)

छिंदवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

आदेश

[म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन-2021-2144.—जिले में स्थित **दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. भुम्मा** पंजीयन क्रमांक 816 दिनांक 10 जनवरी 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1613, दिनांक 13 मई 2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत **दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. भुम्मा** पं. क्रमांक 816 दिनांक 10 जनवरी 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूं. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक . . . दिसम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(G 1275)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

[म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन-2021-2143.—जिले में स्थित **इंडियन कुक्कुड़ पालन सहकारी समिति मर्या. मोहगांवहवेली**, पंजीयन क्रमांक 758, दिनांक 26 अप्रैल 2011 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1613, दिनांक 13 मई 2016 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव, मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत **इंडियन कुक्कुड़ पालन सहकारी समिति मर्या. मोहगांवहवेली, पंजीयन क्रमांक 758, दिनांक 26 अप्रैल 2011** का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक . . . दिसम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(G 1276)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

[म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन-2021-2117.—जिले में स्थित **दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मेहलोन**, पंजीयन क्रमांक 803, दिनांक 26 मई 2012 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1526, दिनांक 5 मई 2016 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव, मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत **दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मेहलोन**, पंजीयन क्रमांक 803, दिनांक 26 मई 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(G 1277)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 दिसम्बर 2021

[म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परिसमापन-2021-2116.—जिले में स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. ढाडा, पंजीयन क्रमांक 534, दिनांक 13 दिसम्बर 1995 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 1526, दिनांक 5 मई 2016 से परिसमापित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की अस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव, मैं, जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए, म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. ढाडा, पंजीयन क्रमांक 534, दिनांक 13 दिसम्बर 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(G 1278)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 जून 2022

कारण बताओ सूचना-पत्र

[म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र. उपाछि-परिसमापन-2022-274.—बादलभोई आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. आमाझिरी'' पंजीयन क्रमांक 1079, दिनांक 29 फरवरी 2016 (जिन्हें आगे संस्था कहा गया है) के 39 सदस्य एवं संचालक मंडल द्वारा संस्था के क्रियाकलापों में रूचि नहीं ली जा रही है. संस्था की वर्ष 2020-21 की अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था अकार्यशील होने से उसके वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति की गई है. संस्था द्वारा अंकेक्षक को अंकेक्षण हेतु अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार संस्था पदाधिकारी संस्था के कार्य संचालन के प्रति उदासीन एवं संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करने में विफल रहे हैं. सहायक संचालक, मत्स्योद्योग छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन दिनांक 11 मार्च 2022 के अनुसार भी संस्था के सभी 39 सदस्य अक्रियाशील है एवं संस्था द्वारा पंजीयन पश्चात् 6-7 वर्षों से मत्स्यारखेट का कार्य नहीं किया जा रहा है.

अतएव, मैं, जी. एस. डेहरिया, उप आयुक्त, सहकारिता, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित है का प्रयोग करते उपरोक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्था ने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 2 जून 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया, उप पंजीयक.

(G 1279)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 26 मई 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र. (1)	नाम संस्था (2)	पंजीयन क्रमांक/दिनांक (3)	परिसमापन क्रमांक व दिनांक (4)
1	मां भगवती रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित, देवास	100359/23-02-2021	702/13-05-2022

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहुकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 मई 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

अनीता मेहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G 1280)

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवम् पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्र.-साख-शह.साख-2022-243.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2022

::आदेशः

म.प्र. एग्री कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित भोपाल, पंजीयन क्रमांक 193 दिनांक 18.08.1986 है, वर्ष 1991-92 से आज दिनांक तक अंकेक्षण कार्य न होने से कार्यालयीन पत्र क्र./शह.साख/2021/363 दिनांक 15.01.2021 से म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण भोपाल एवं निर्वाचन शाखा मुख्यालय से संस्था के संचालक मंडल की जानकारी चाही गयी थी। जिसके संबंध में निर्वाचन शाखा द्वारा अपने पत्र क्र./निर्वा. /2022/05 दिनांक 06.01.2022 से जानकारी प्रदान की गयी कि उक्त संस्था के संबंध में कभी निर्वाचन प्रस्ताव कक्ष को प्राप्त नहीं हुआ है, इसके अभाव में कोई जानकारी देना संभव नहीं है। तत्पश्चात कार्यालयीन पत्र क्र./शह.साख/2022/79 दिनांक 21.02.2022

से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र संस्था के अध्यक्ष को जारी किया गया कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है। संस्था का वर्ष 1991-92 से आज दिनांक तक अंकेक्षण कार्य लंबित है। संस्था ने अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन प्रावधानित शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया है। साथ ही साथ अपने सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के लिये कोई कार्य नहीं कर रही है। इस प्रकार संस्था में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(बी/ख) एवं धारा 69(2)(सी/ग) में उल्लेखित स्थिति विद्यमान होना स्पष्ट है। क्योंकि संस्था म.प्र. एग्री कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित भोपाल को धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाए। कारण बताओं सूचना पत्र के उत्तर के लिये 14 दिन की समयसीमा निर्धारित की गयी थी, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था, परन्तु संस्था से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात पुनः कार्यालयीन पत्र क/शह. साख/2022/79 दिनांक 21.02.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 14 दिन की समयसीमा उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नियत थी, किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ न ही व्यक्तिगत सुनवाई में कोई भी उपस्थित हुआ। तत्पश्चात कार्यालयीन पत्र क/शह. साख/2022/196 दिनांक 23.05.2022 से राज पत्र में प्रकाशन एवं कार्यालयीन पत्र क/शह.साख/2022/199 दिनांक 25.09.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक जागरण डैली, प्यूपिल समाचार, सत्तासुधार डेली में दिनांक 20.05.2022 को किया गया किन्तु संस्था की ओर से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही संस्था अध्यक्ष द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार संस्था ने बार-बार सूचना पत्र जारी करने के बाद न तो उत्तर प्रस्तुत किया न ही समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने पर भी वे व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संस्था के संचालक मंडल एवं सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है। इस प्रकार कारण बताओ सूचना पत्र में दर्शित उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं अरविन्द सिंह सेंगर, संयुक्त पंजीयक, कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल, म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 ए दिनांक 26.07.1999 म.प्र. राज्य पत्र भाग-01 दिनांक 02.04.1971 पृष्ठ 375 पर प्रकाशित अनुसार राज्य शासन द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत म.प्र. एग्री कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित भोपाल, पंजीयन क्रमांक 193 दिनांक 18.08.1986 के परिसमापन हेतु श्री जितेन्द्र सिंह भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, अंकेक्षण शाखा मुख्यालय को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक उक्त संस्था के दायित्वों एवं संपत्तियों के समुचित निराकरण की वैधानिक कार्यवाही संपन्न कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अतिरिक्त प्रतिवेदन इस कार्यालय को 6 माह की समयवधि में प्रस्तुत करें।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 29 जून 2022 को जारी किया गया।

अरविन्द सिंह सेंगर, संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

क्र.-परि.-2022-क्यू

बड़वानी, दिनांक 1 जुलाई 2022

:: सूचना पत्र ::

म.प्र.सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 सी/ग के अंतर्गत

सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता जिला बड़वानी के द्वारा म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है ।

क.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	सुमर्षण साख सहकारी संस्था मर्या. पाटी	438 / 09.12.2014	482 / 31.03.2017
2	दरिया साख सहकारी संस्था मर्या. पाटी	482 / 29.04.2015	468 / 31.03.2017
3	चौकी माता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. चौकी	326 / 31.03.2013	473 / 31.03.2017
4	श्री संतोषी ग्रा. म. बहुउददेशीय सहकारी संस्था मर्या. ओसाड़ा	132 / 07.08.2003	451 / 31.03.2017
5	बिरसा मुण्डा ग्रा. म. बहुउददेशीय सहकारी संस्था मर्या. बोम्या	174 / 27.07.2004	852 / 09.01.2016
6	ग्रामीण म. बहुउददेशीय सहकारी संस्था मर्या. सांवरियापानी	124 / 22.07.2003	849 / 09.11.2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/प्रबंधक से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड,दस्तावेज आदि का प्रभार मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

अतःम.प्र.सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57 सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वें संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता जिला बड़वानी कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर लिखित रूप से सहप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि कि दशा में साहूकरण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसके बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेय मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे ।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर, आस्तियां या अभिलेख, रेकार्ड नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसुलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

सूचना आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G 1282)

महेन्द्र तड़वाल, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2022—आषाढ़ 24, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)